

| | |
|---|---|
| <p>पेंशन सुविधा (रूल-273): बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व तीन वर्षों में लगातार लाभार्थी रहा हो।</p> | <p>पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन का हकदार होगा, न्यूनतम पेंशन 1000/-रु(एक हजार) प्रतिमाह।</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>Pension Facility [Rule No.-273]</p> | <p>पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन का हकदार होगा, न्यूनतम पेंशन मु. 1000/-रु (एक हजार) प्रतिमाह।</p> |
|--|--|